न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : नन्द किशोर राजोरा, आर.ए.एस.

राजस्व **अपील : 20/2018**

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
1. मिश्राराम पुत्र स्वर्गीय पुराराम 2. हजारीराम पुत्र स्वर्गीय पुराराम 3. सवाराम पुत्र स्वर्गीय पुराराम जाति देवासी निवासी चौकड़ीया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. ग्राम पंचायत चौकड़ीया जरिये संरपच, ग्राम पंचायत चौकड़ीया 2. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार मारवाड जंक्शन, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री धमेन्द्र व्यास, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05-08-2022

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/559 दिनांक 23.05.2018 द्वारा पारित रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में ग्राम चौकड़िया के खसरा नम्बर 532 रकबा 2.1119 हेक्टेयर में से 0.2529 हेक्टेयर भूमि शमशान हेतु आरक्षित की गई, के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय में म्याद बाहर प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट बतौर काश्तकार काबिज है। एवं कई वर्षो से उक्त आराजी पर काश्त करता आ रहा है। एवं उससे पूर्व उनके पिता उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। उपरोक्त भूमि अपीलाण्ट के आजीविका का एक मात्र साधन है। उपरोक्त भूमि के अलावा अपीलाण्ट के पास कोई कृषि भूमि नहीं है। आज भी मौके पर अपीलाण्ट काबिज है एवं वास्तविक भौतिक रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के पंत्राक/राजस्व/2017/279 दिनांक 20.02.2017 द्वारा ग्राम चौकड़िया तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 532 रकबा 2.1119 हेक्टेयर में से 0.2529 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करने की अभिशंषा सहित प्रस्ताव भिजवाया लेकिन प्रस्ताव में स्पष्ट रिपोर्ट अंकित नहीं है कि पूर्व में ग्राम में कितनी भूमि शमशान हेतु आवंटित है या नहीं। प्रस्तावित भूमि को सुपर इम्पोज कर ए, बी, सी, डी मार्क कर लाल स्याही से प्रस्तावित नही किया हैं। प्रस्तावित भुमि पर अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है यह भी स्पष्ट नहीं किया हैं जबकि यह आवश्यक कानून है कि प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण है या नहीं यह स्पष्ट रिपोर्ट करनी आवश्यक है जो रिपोर्ट नहीं की गई है। ग्राम चौकड़िया में पूर्व से ही उपरोक्त भूमि के अलावा सार्वजनिक श्मशान हेतु भुमि आरक्षित है। जैर अपील आंवटन किये जाने से पूर्व न तो विधिवत घोषणा जारी की गई ओर न ही सार्वजनिक आवंटन की घोषणा की गई। आवंटन नियमों की पूर्णतया अवहेलना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है आंवटनसुदा भुमि ओक्युपाईड भूमि है ओर कई दशको से अपीलाण्ट एवं उसके पूर्वज उस पर काबिज है। ऐसी भूमि को नियमित किये जाने के संदर्भ में विधिवत आदेश पारित किया जाना चाहिए या अपीलाण्ट का आधिपत्य नियमन की तारीफ में नही आने की सूरत में अपीलाण्ट को बेदखल करने के पश्चात ही उपरोक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की जा सकती थी। अपीलाण्ट ने उपरोक्त भूमि को नियमन किये जाने के संदर्भ में कई बार आवेदन पेश किये थे लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई न तो कार्यवाही की गई न ही आदेश पारित किया गया। मौके पर उपरोक्त आवंटनसुदा भूमि का कभी भी श्मशान भूमि के रूप में उपयोग व उपभोग नही किया गया है। आवंटनसुदा भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावे। एवं उपरोक्त भूमि को अपीलाण्टगण को आवंटन किये जाने का आदेश करावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकीय भूमि दर्ज है। उक्त भूमि वर्षो से श्माशान के लिए काम आ रही है परन्तु राजस्व रेकर्ड में श्मशान दर्ज नहीं है। राजस्व रिकार्ड में भूमि श्मशान दर्ज नही होने से ग्राम पंचायत को श्मशान विकास के कार्य करवाने में समस्या आ रही है एवं आमजन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण रूपेण नियमानुसार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित किए जाने पर अपीलाधीन आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित भूमि आरक्षित करने का आदेश विधिसम्मत हैं। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 532 रकबा 2.1119 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर राज्य सरकार के खाता संख्या 01 में दर्ज है। जिसे जनहित में आरक्षित किया जा सकता है। अपीलांटगण ने उक्त अपील वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होना बताते हुए प्रस्तुत की, किन्तु अपीलांटगण ने अपने कब्जे के संबध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये। ग्राम पंचायत द्वारा बैठक दिनांक 20.01.2016 को प्रस्ताव संख्या 04 सर्व सम्मति से पारित कर वादग्रस्त आराजी को श्मशान हेतु आवंटित करने का सकंल्प पारित किया है। जिस पर बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय ने जनहित में राजकीय भूमि जैर अपील आदेश के जरिये श्मशान हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम चौकड़िया तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 532 रकबा 2.1119 हैक्टेयर आराजी राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में से 0.2529 हैक्टर भूमि को सार्वजनिक श्मशान हेतु आवंटन करने का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन को प्रेषित किया गया। प्रेषित प्रस्ताव के संलग्न ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.01.2016 में सर्वसम्मति से लिया गया प्रस्ताव संख्या 04 का प्रस्ताव, मौका रिपोर्ट(फर्द) भी प्रेषित किए गए। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सलंग्न प्रस्तुत मौका फर्द एवं रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व से ही वादग्रस्त आराजी श्मशान के रूप में उपयोग में आ रही है। आराजी पर किसी प्रकार का कब्जाकाश्त/अतिक्रमण नहीं है। प्रस्तावित भूमि मौके पर पड़त है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2018 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय आज दिनांक 05/8/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली